न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क्र0 3130–एक/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 13–09–12 पारित अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 164/10–11 अपील.

जनकसिंह पुत्र लालपति सिंह
निवासी ग्राम सिरमिती, तह0 व
जिला मुरैना, म0प्र0 ––– आवेदक

विरूध्द

1– कप्तानसिंह पुत्र भगवानसिंह
2– रामनरेश पुत्र भगवानसिंह
दोनों निवासी ग्राम सिरमिती, तह0 व
जिला मुरैना, म0प्र0 –– अनावेदकगण
3– लक्षिना बेवा भीखाराम पुत्री लालपति
निवासी ग्राम सिरमिती, तह0 व
जिला मुरैना, म0प्र0
4– विद्यादेवी पत्नी नारायणसिंह पुत्री लालपति
निवासी ग्राम सिरमिती, तह0 व
जिला मुरैना, म0प्र0 हाल नि0 ग्राम बकचौली,
तह0 व जिला धौलपुर, राजस्थान
5– मालती पत्नी जनकसिंह
निवासी ग्राम सिरमिती, तह0 व
जिला मुरैना, म0प्र0

––– तरतीवी अनावेदकगण

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक – आवेदक
श्री पूरनसिंह राणा, अभिभाषक– अनावेदक 1 एवं 2

आदेश

(आज दिनांक 12 नवम्बर ,2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के अपील प्रकरण कमांक 164/10–11 में पारित आदेश दिनांक 13–09–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सिरमिती के अभिलिखित भूमिस्वामी बाबूसिंह पुत्र लालपति की मृत्यु होने पर वसीयत के आधार पर अनावेदकगण कप्तानसिंह आदि ने तथा वारिसान के आधार पर आवेदक जनकसिंह ने नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अतिरिक्त तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 20–01–11 में यह निष्कर्ष निकाला कि वसीयतनामा निःसंदिग्ध परिस्थितियों में सम्पन्न होना सिध्द नहीं है। अतिरिक्त तहसीलदार ने मृतक बाबूसिंह लाऔलाद फोत होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची वर्ग–2 के आधार पर मृतक के भाई एवं बहन अर्थात जनकसिंह, विद्यादेवी एवं लक्षिना के नामान्तरण के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12–07–11 व्दारा खारिज की । कप्तानसिंह एवं रामनरेश व्दारा प्रस्तुत व्दितीय अपील विव्दान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 13–09–12 व्दारा स्वीकार की गयी है और वसीयत के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक व्दारा यह मुद्दा प्रस्तुत किया गया है कि वसीयत साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में दिये गये प्रावधान के अनुसार प्रमाणित नहीं है। अपर आयुक्त ने साक्ष्य की विवेचना किये बिना वसीयत के आधार पर नामान्तरण स्वीकार करने में त्रुटि की है। उनका तर्क है कि वसीयत के आधार पर नामान्तरण तभी किया जा सकता है, जब वसीयत साक्ष्य से असंदिग्ध होना तथा वसीयतकर्त्ता वसीयत के समय स्वस्थ होना प्रमाणित हों। वसीयतकर्त्ता केन्सर से पीड़ित था और उनकी आवाज बन्द थी। वसीयतकर्त्ता अनपढ़ था और उसे वसीयत

पढ़कर नहीं सुनायी गयी, यह साक्षियों ने अपने साक्ष्य में स्वंय बताया है। उनका यह भी तर्क है कि अपर आयुक्त ने अनावेदक के पिता भारतसिंह को मृत बाबूसिंह के पुत्र मान्य करने में भूल की है। मृत बाबूसिंह की शादी नहीं हुई थी तथा उसके कोई पुत्र व पुत्री नहीं थे। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क्रमांक 1–2 के अभिभाषक का तर्क है कि बाबूसिंह व्दारा अनावेदकों के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गयी है, किन्तु विचारण तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय व्दारा वसीयत की साक्ष्य को अनदेखा कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित करने में भूल की थी। उनका तर्क है कि वसीयत साक्ष्य से सिध्द है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 निर्वसीयत मृतक की सम्पत्ति पर ही लागू होते हैं। मृतक बाबूसिंह व्दारा अपनी मृत्यु के पूर्व वसीयत निष्पादित की गयी है, इसलिये इस प्रकरण में धारा 8 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते। उनका यह भी तर्क है कि आवेदक व्दारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, मुरैना के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 24–08–09 को निरस्त किया जा चुका है जिसे विचारण तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय व्दारा अनदेखा कर आदेश पारित किया गया। उनका अन्त में तर्क है कि मृत बाबूसिंह के भाई भारतसिंह के अनावेदक कप्तानसिंह एवं रामनरेश पुत्र होने से अनुसूची–2 के वारिसान हैं। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख एवं आदेशों से स्पष्ट है कि अतिरिक्त तहसीलदार एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने वसीयत साक्ष्य से असंदिग्ध प्रमाणित नहीं होने से प्रश्नाधीन भूमि पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय के अन्तर्गत नामान्तरण के आदेश दिये । वसीयत के आधार पर तभी नामान्तरण किया जा सकता है, जब वसीयत साक्ष्य से असंदिग्ध होना तथा वसीयतकर्त्ता के स्वस्थ चित्त में निष्पादित किया जाना प्रमाणित हों। विचारण तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय व्दारा वसीयत को साक्ष्य से सिध्द होना नहीं माना। यदि अपर आयुक्त के मत में अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्य संबंधी निष्कर्ष अभिलेख सम्मत नहीं थे तो उन्हें व्दितीय अपील में समस्त साक्ष्य की विवेचना करते हुए निष्कर्ष निकालना चाहिये थे और अपने आदेश में

वसीयत साक्ष्य से किस प्रकार असंदिग्ध प्रमाणित है, यह स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित करना चाहिये था, किन्तु अपर आयुक्त ने अपने आदेश में साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की है। मृतक व्दारा वसीयत निष्पादित किये जाने के आधार पर वसीयतग्रहिता को विधिवत स्वत्व अन्तरित होना तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसे साक्ष्य से असंदिग्ध प्रमाणित होना सिध्द नहीं किया जाय। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जनकसिंह व्दारा प्रस्तुत किया गया वाद कमांक 3ए/08 इ.दी. व्दितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मुरैना ने दिनांक 24–08–09 को अधिवक्ता की अनुपस्थिति तथा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया है अर्थात व्यवहार न्यायालय व्दारा प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिये व्यवहार न्यायालय के आदेश के आधार पर राजस्व न्यायालयों व्दारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, किन्तु विव्दान अपर आयुक्त व्दारा सिविल न्यायालय के आदेश के आधार पर आवेदक के विरूध्द निष्कर्ष निकालने में भूल की है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में मृत बाबूसिंह के एक और पुत्र भरतसिंह होना अंकित किया है, जबकि अभिलेख से मृत बाबूसिंह लाऔलाद फोत होना सिध्द है जिससे यही प्रगट होता है कि विव्दान अपर आयुक्त व्दारा अभिलेख का विधिवत अवलोकन/परीक्षण किये बिना आदेश पारित किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 13–09–12 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग को इस आदेश की उक्त कण्डिका–5 में निकाले गये निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए विधिवत निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,